

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 87/11
संस्थापन दिनांक:-07/04/11
फाईलिंग नं. 233504000072011

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

दुर्गेश पिता झुमक गोंड
 उम्र 35 वर्ष, निवासी रमली,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 27.08.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 19.01.2011 के रात 12:00 बजे ग्राम रमली फरियादी का घर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी गीताबाई को जलती लकड़ी से जलाकर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है परंतु अभियुक्त पर लगे धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी अभियुक्त दुर्गेश के साथ उसकी मर्जी से पत्नी बनकर रह रही थी। दिनांक 19.01.2011 रात 12 बजे अभियुक्त शराब पीकर आया और उससे झगड़ा करने लगा और कहा तू तेरी मां के पास जा मैं नहीं रखता कहकर उसके दाहिने हाथ का पंजा चुल्हे की जलती हुई लकड़ी से जला दिया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 22/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त का फरारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र अभियुक्त की अनुपस्थिति में न्यायालय में पेश किया गया।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.01.2011 के रात 12:00 बजे ग्राम रमली फरियादी का घर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी गीताबाई को जलती लकड़ी से जलाकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

6 गीताबाई (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना दो तीन वर्ष पूर्व रात के 11-12 बजे की ग्राम घीसी में उसके घर की है। घटना के समय वह उसके घर पर सो रही थी तभी अभियुक्त शराब पीकर आया और उसे मारने लगा तो वह वहां से भाग गयी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसे अभियुक्त/उसके पति ने जलती हुई लकड़ी से मारपीट नहीं की थी। साक्षी ने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट थाने में की जाना तथा पुलिस द्वारा नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया जाना प्रकट किया है।

7 साक्षी गीताबाई (अ.सा.-1) द्वारा अभियोजन की घटना का समर्थन न करने के कारण अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि दिनांक 19.01.2011 को अभियुक्त ने उसके साथ जलती हुई लकड़ी से मारपीट की थी जिससे उसे चोट आयी थी।

8 फूसेबाई (अ.सा.-2) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि घटना लगभग तीन साल पहले उसकी बेटी के घर की है। घटना के समय उसे उसकी बेटी ने बताया था कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर घर से भगा दिया था।

9 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के द्वारा फरियादी के साथ मारपीट की जाना प्रमाणित होता है परंतु गीताबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथन में स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि अभियुक्त ने उसे जलती हुई लकड़ी से मारा था तब ऐसी स्थिति में उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी को जलती हुई लकड़ी जो कि अग्नि या तप्त पदार्थ की श्रेणी में आता है, से चोट कारित किया जाना प्रकट नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी गीताबाई को जलती हुई लकड़ी से जलाकर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त दुर्गेश को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

10 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)